

15.10.24

अधिवक्ताओं की आज्ञा शीघ्रता

होने से यह प्रकल्प वाली सुनवाई,

दिनांक... 17.12.24... को पेश हों।

(
DAS

17.12.24

पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता द्वारा उपाधित होकर

नोट प्रेष अंकित किया गया तथा वाद नहीं चलाना चाहते

है कथन किया गया कि पत्रावली वर्तमान में तामिल में किया

है

अतः वादी का वाद नोट प्रेष अंकित किया जाने के इसी

स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय करे इजलास सुनाया

गया प्रकल्प फौजदारी नम्बर से कम हो।

(रिया डबी)
DAS

Not Pres

3/12/24

12-12-24